

प्रेसनोट दिनांक 11.11.2023

- दिनांक 10.10.23 को वादी श्री मो० अरशद प्र०नि० हैदरगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. असिफ कंकाली उर्फ अजय सिंह पुत्र शौकत नि० हसनाडीह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ 2. सीटर उर्फ इसरार अहमद पुत्र मजनू 3. मोनू उर्फ जुबेर अहमद पुत्र मजनू नि०गण रसूलपुर थाना हैदरगंज अयोध्या **तीनों पूर्व से जेल में** 4. विपिन उर्फ विकास मिश्रा पुत्र छोटेलाल मिश्रा 5. पंकज मिश्रा पुत्र छोटेलाल मिश्रा नि०गण लाला का पुरवा मजरे बैंतीकला थाना हैदरगंज अयोध्या। अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु कुरतापूर्वक गोवंश का परिवहन करने जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। जिसके संबंध में थाना हैदरगंज में मु०अ०सं० 230/23 धारा 3(1) यूपी गैगोस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 10.10.23 को वादी उ०नि० श्री सुधीर कुमार थाना खण्डासा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि मंजीत मौर्या पुत्र प्रकाश नि० कोटडीह सरैया थाना रौनाही अयोध्या। **गिर०** अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना खण्डासा में मु०अ०सं० 244/23 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 10.10.23 को वादी श्री देवेन्द्र सिंह प्र०नि० को० रूदौली अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि 1. मुस्तकीम पुत्र शरीफ 2. इरशाद पुत्र रिजवान 3. सुफियान खान पुत्र इबरार नि०गण बसौढी थाना पटरंगा अयोध्या। **तीनों पूर्व से जेल में** अभि०गण द्वारा अपने व अपने साथियों के आर्थिक एवं भौतिक लाभ हेतु योजनाबद्ध तरीके हत्या जैसा जघन्य अपराध कारित कर समाज में भय उत्पन्न करना। जिसके संबंध में थाना को०रूदौली में मु०अ०सं० 582/23 धारा 3(1) यूपी गैगोस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 10.10.23 को वादी मुख्य आरक्षी श्री मो० फारूख थाना मवई अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि रामनरेश रावत पुत्र हरिप्रसाद नि० नरौली थाना मवई अयोध्या। **गिर०** अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना मवई में मु०अ०सं० 169/23 धारा 60 आब०अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
- दिनांक 10.10.23 को वादी उ०नि० श्री मदनपाल थाना पटरंगा अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि चांद बाबू पुत्र ऐनुल हसन नि० रानीगंज थाना पटरंगा अयोध्या। **गिर०** अभि० के कब्जे से 01 प्लास्टिक की बोरी में अवैध पटाखा बरामद होना। जिसके संबंध में थाना पटरंगा में मु०अ०सं० 254/23 धारा 9(ख) विस्फोटक पदार्थ अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।